**साधारण बंधक का विलेख**

यह विलेख दिनांक ............माह ........... सन्‍ ............ को श्री ................................. आत्‍मज .............. आयु .............. वर्ष निवासी ........................ (जिसे आगे ‘’बंधककर्ता’’ कहा गया है) एवं जो विलेख का प्रथम पक्षकार है तथा ............................. आत्‍मज ................ आयु............ वर्ष निवासी .......................(जिसे आगे ‘’बंध‍की’’ कहा गया है) एवं जो इस विलेख का द्वितीय पक्षकार है के बीच ........................... (ग्राम/शहर का नाम) में निष्‍पादित किया गया ।

उक्‍त प्रथम पक्षकार का जो ............................. में ............................... रोड पर स्थित है, जिसका विस्‍तृत नीचे अनुसूची में किया गया है, और जिसका कि वह पूर्ण रूपेण स्‍वामी होकर उस पर उसका अधिपत्‍य है।

**अनुसूची**

**(बंधकित संपत्ति का विस्‍तृत विवरण)**

और चूंकी बंधककर्ता को कौटुम्बिक आवश्‍यकता के लिए रू........................ की आवश्‍यकता है जिससे बंधककर्ता अपने मकान को उक्‍त बंधकी के पास बंधक रखकर प्राप्‍त करने का इच्‍छुक है एवं उक्‍त बंधकी भी इसके लिए सहमत है।

1. कि बंधककर्ता ने बंधकी से रू................. प्राप्‍त कर अभिस्‍वीकृति एवं प्रतिभूति के स्‍वरूप अपनी संपत्ति बंधकी के पास बंधक रख दिया है एवं यह बंधक विलेख निष्‍पादित कर दिया है।
2. कि उक्‍त रकम को रू............... प्रति सैकडा प्रतिमाह की दर से ब्‍याज सहित बंधकी द्वारा मांग किये जाने पर बंधककर्ता अदा कर देगा।
3. कि बंधककर्ता द्वारा देय राशि को सर्वप्रथम ब्‍याज के लिए जमा किया जायेगा एवं शेष रकम को मूल धन से जमा किया जायेगा।
4. कि यदि बंधककर्ता उक्‍त रकम की अदयगी में चूक करे या अदा करने में असफल रहे तो बंधकी को यह अधिकार होगा कि वह उक्‍त बंधकित संपत्ति के विक्रय से प्राप्‍त धन उपर्याप्‍त हो तो वह बंधककर्ता की अन्‍य संपत्ति से उसे वसूल कर सकेगा।
5. कि बंधककर्ता उक्‍त बंधकित संपत्ति को बंधक समय के अंदर किसी अन्‍य किसी अंतरित नही करेगा और न ही उसे भारग्रस्‍त करेगा।
6. कि जब भी बंधककर्ता बंधकी को बंधक धन की अदायगी करेगा तो बंधकी उसे प्राप्ति की रसीद देकर बंधक मोचन का विलेख लिख देगा।
7. करार करता है। कि बंधकित सम्‍पत्ति पर भारित करों का वह भुगतान करता रहेगा और इसमे चूंक होने पर बंधको उससे क्षतिपूर्ति प्राप्‍त करने का अधिकारी होगा।
8. कि बंधककर्ता एवं बंधकी शब्‍द में उससे दायाद, उत्‍तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशित भर सम्मिलित समझे जायेंगे।

उपर्युक्‍त के साक्ष्‍य स्‍वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्‍नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्‍थान एवं दिनांक पर अपने हस्‍ताक्षर कर दिये है।

साक्षीगण :-

(1).........................

(2).........................

हस्ताक्षर .........................

(बंधककर्ता)

हस्ताक्षर .........................

(बंधकी)